


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर

आदेश सं०- 109 / 2021
दिनांक: 7.6.2021

आदेश


माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1946/LXXXVII-CPC/ e-Courts/ Allahabad दिनांकित 26.04.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार व माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त गाइडलाइन के अनुपालन में जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के जिला मुख्यालय एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में नवीन (Fresh) जमानत/ रिमांड आदि अर्जेंट प्रकृति का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

ई-मेल के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों में आने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में आदेशित किया जाता है कि ई-मेल के साथ-साथ भौतिक तरीके से भी अब प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे।


(डा० अजय कृष्ण विश्वेश) 7.6.2021
जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्यालय एवं समस्त वाह्य न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. समस्त बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर, खुर्जा, अनूपशहर, स्याना एवं डिबाई।
3. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर।
4. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुलन्दशहर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


(डा० अजय कृष्ण विश्वेश) 7.6.2021
जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।